

प्रेस नोट थाना अतरौली, अलीगढ़दि0 15.04.2021

थानाअतरौलीपुलिसद्वाराहत्यामेंवांछित01 अभियुक्तकियागिरफ्तार

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, प्रभारी निरीक्षक अतरौली श्री संजय जायसवाल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 158/2021 धारा 302/34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हनी चौधरी पुत्र राजू उर्फ प्रमोद निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ को तलाश कर छर्ना बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.04.2021 को वादी श्री विजयपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी पैडरा थाना अतरौली अलीगढ़ द्वारा अपनी माँ मुन्नी देवी की हत्या अभियुक्तगण हनी व जैकी द्वारा करना व वादी के भतीजे सचिन को धमकी देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 158/2021 धारा 302/506 भादवि पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है । विवेचना से वादी के भतीजे सचिन द्वारा चाचा विजयपाल सिंह को दादी की अचानक तबियत खराब हो जाने से मृत्यु हो जाना और बाद मे अपने चाचा को बताया कि दादी की हत्या जैकी व हनी द्वारा की गयी है।जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिले कि सचिन ने अपनी दादी से मोबाइल के लिये पैसे मांगे थे तो दादी ने पैसे देने से मना कर दिया था। ये बात अपने दोस्त हनी व जैकी को बताई थी तब उन्होने दादी से बात करने को कहा था। रात मे वह ट्यूबवैल पर आये थे तथा दादी से बात की थी। दादी द्वारा भला-बुरा कहने पर गुस्से मे आकर तीनों ने गला दवाकर हत्या कर दी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. हनी चौधरी पुत्र राजू उर्फ प्रमोद निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना अतरौली जनपद अलीगढ़

गिरफ्तारी का स्थान-

छर्रा बस अड्डा कस्बा अतरौली जनपद अलीगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० श्री संजय कुमार जायसवाल थाना अतरौली, अलीगढ़
2. का० 2348 हेमन्त कुमार थाना अतरौली, अलीगढ़
3. का० 1352 आतिस तोमर थाना अतरौली, अलीगढ़

फोटो